जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 04.10.2024

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट व जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 04.09.2024 को वादी जानसार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम मंसूरा थाना झिंझाना जनपद शामली ने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट, गाली गलौच व जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर नामजद तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 04.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंसूरा में मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.बाबर पुत्र इलियास निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 365/2024 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 741/20 धारा 120बी/379/411 भादवि थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 152/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

कोतवाली झिंझाना